



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63459

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10336 वर्ष 2026

अय्यूब

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अजय कुमार शर्मा, अतुल शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार शर्मा, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित शुक्ला, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 316/2025, धारा 103(1), 351(3) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन शेरगढ़, जिला मथुरा में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर में आवेदक के बच्चों और प्रथम शिकायतकर्ता की पत्नी के बीच हुए विवाद का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि प्रथम शिकायतकर्ता की पत्नी अपने बच्चों की शिकायत दर्ज कराने के लिए आवेदक के घर गई थी। इसके बाद, आवेदक ने रिजवान और मुजाहिद को मृतक की हत्या करने के लिए उकसाया। इसके बाद, रिजवान और मुजाहिद ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की भूमिका केवल जबरन वसूली की है और धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का आरोप रिजवान और मुजाहिद पर लगाया गया है। साथ ही, सह-आरोपी मुजाहिद के बताने पर खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। इसलिए, आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक ने एक मामले में अपने आपराधिक इतिहास का विवरण दिया है। आवेदक 23.10.2025 से जेल में है। उसने

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे कहा कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और प्रथम शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और अधीनस्त न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में दिए गए फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **अय्यूब** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए प्रेरित करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बॉन्ड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी संबंधित अधिवक्ता द्वारा पुष्टि की गई हो और यह वचन दिया गया हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल के द्वारा भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के नीतिगत रणनीति संबंधी मामले में जमानत देने के संबंध में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो। यह आदेश स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के संबंध में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित मामले के अनुसार भेजा जाना चाहिए।

26 मार्च, 2026

सीएस

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।